



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 अप्रैल 2013-वैशाख 6, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर खंडपीठ के समक्ष

(मूल कम्पनी क्षेत्राधिकार)

कम्पनी याचिका क्र. 21/2013

कंपनी याचिका (आवेदन) क्र. 1/2013 के साथ
कंपनी याचिका क्र. 17/2002 के मामले में;
एवं
कंपनी अधिनियम, 1956 के मामले में;
एवं
धार सिमेंट लिमिटेड एवं इसके अंशधारियों व
लेनदारों के मध्य समझौता एवं पुनर्निर्माण योजना
कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत धारा
391-394 एवं अन्य संगत प्रावधानों के मामले में;
एवं

के मामले में :

धार सिमेंट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : जीराबाद गांव,

जिला धार, मध्यप्रदेश

परिसमापन के अधीन

प्रदीप कासलीवाल

पिता श्री देवकुमार सिंह कासलीवाल,

“अनूप भवन” 580, एम. जी. रोड,

इन्दौर-452 001 (म. प्र.)

याचिकाकर्ता

याचिका की सूचना

उपरोक्त याचिकाकर्ता द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 391-394 एवं अन्य संगत प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 12 अप्रैल, 2013 को, धार सिमेंट लिमिटेड एवं उसके अंशधारियों एवं लेनदारों के मध्य कंपनी के पुनः प्रवर्तन हेतु प्रस्तावित समझौता एवं पुनर्निर्माण योजना

की मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक याचिका प्रस्तुत की गई है तथा उपरोक्त याचिका को दिनांक 15 मई, 2013 को माननीय कम्पनी न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिये निर्धारित किया गया है।

यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त याचिका का समर्थन या आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता हो तो वह व्यक्ति याचिकाकर्ता के अभिभाषक को इस आशय की सूचना, अपना नाम व पता सहित या अपने अभिभाषक के माध्यम से सुनवाई दिनांक से 2 दिन पूर्व भिजवाये, यदि वह आपत्ति करता है तो आपत्ति करने का कारण शपथ-पत्र की प्रतिलिपि सहित सूचना-पत्र के साथ भिजवाये एवं यदि ऐसा व्यक्ति याचिका की प्रति प्राप्त करना चाहता हो तो याचिकाकर्ता के अभिभाषक से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त कर सकता है।

दिनांक 22 अप्रैल, 2013

(22-बी.)

यतीश लाड़, (अभिभाषक)

तर्फे याचिकाकर्ता

304, जे. वी. कॉम्प्लेक्स,

2/13, रेस कोर्स रोड,

इन्दौर-450001 (म. प्र.).

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, सुलभ तिवारी आत्मज श्री जी. पी. तिवारी उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी द्वारा व्ही. के. शुक्ला, 54-ए, भोले कुटी के सामने, शक्ति नगर, जबलपुर, मध्यप्रदेश का निवासी हूँ।

यह कि, मेरा नाम सुलभ तिवारी आत्मज श्री जी. पी. तिवारी है जो कि मेरे समस्त शिक्षा के दस्तावेजों में मेरा यही नाम अंकित है।

यह कि, मैं अपना नाम सुलभ तिवारी से शाश्वत तिवारी में परिवर्तन करना चाहता हूँ। अब मेरा नाम शाश्वत तिवारी आत्मज श्री जी. पी. तिवारी जो कि मेरा परिवर्तित नाम है तथा मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा यही नाम अंकित किया जावे तथा जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(सुलभ तिवारी)

नया नाम :

(शाश्वत तिवारी)

पता-द्वारा व्ही. के. शुक्ला, 54-ए,

भोले कुटी के सामने, शक्ति नगर, जबलपुर (म. प्र.).

(18-बी.)

CHANGE OF NAME

I, REETU MITTRA D/o Tapash Kumar Nandy after divorce from Pankaj Kumar Mittra S/o Susheel Kumar Mittra, resident of Jhansi, will continue to be known as REETU NANDY residing permanently at 19-Kailash Vihar, Jajmou, Kanpur and presently at J.N.V. Joura, Morena vide affidavit No. 41AA237375 dated 26-02-2013 before notary P. L. Mangal (Joura), as before marriage, for all purposes in cash of any discrepancy kindly contact the in person 8 days of publish of the ad.

Old Name :

(REETU MITTRA)

New Name :

(REETU NANDY)

D/O Tapash Kumar Nandy.

(19-B.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा सरनेम अभिषेक चटर्जी (Abhishek Chatterjee) था. वर्तमान में परिवर्तित होकर मेरा नाम अभिषेक चट्टोपाध्याय (Abhishek Chattopadhyay) हो गया होकर मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(अभिषेक चटर्जी)
(Abhishek Chatterjee)

(20-बी.)

नया नाम :

(अभिषेक चट्टोपाध्याय)
(Abhishek Chattopadhyay)
निवासी-फ्लैट नं. 201, मंगलम रेसीडेन्सी,
22/3, मनोरमागंज, इन्दौर (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को यह सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम मधु मंशानी पिता श्री चंदुलाल मंशानी जो कि मेरी शादी के बाद श्रीमती हीना धनवानी पति श्री आशिष धनवानी, 6-माडल टाउन कालोनी, केसर बाग रोड, इन्दौर (म. प्र.) हो गया है. अतएव अब मुझे परिवर्तित नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :

(मधु मंशानी)
(23-बी.)

नया नाम :

(हीना धनवानी)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स चौधरी बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स, पता-41, सेक्टर कोलार रोड, भोपाल से दिनांक 8 दिसम्बर, 2010 को श्री व्ही. के. अमर सम्मिलित हुए एवं दिनांक 8 अप्रैल, 2011 को भागीदारी श्री विनय मिश्रा, विजय मिश्रा एवं संध्या मिश्रा पृथक हो गये हैं एवं उक्त फर्म में आज श्री दीपक मिश्रा एवं व्ही. के. अमर शेष भागीदार बचे हैं. उक्त पृथक् हुये भागीदारों का दिनांक 8 अप्रैल, 2011 के बाद से किसी प्रकार का कोई लेना-देना शेष नहीं है.

दीपक मिश्रा,

मे. चौधरी बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स
भोपाल, मध्यप्रदेश.

(21-बी.)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल, 2013

अल्प अवधि निविदा सूचना

क्रमांक जी. बी. चार/पेपर (1) 2013-14/1430.—चुनाव कार्य हेतु क्राफ्ट पेपर, 90 जी.एस.एम. विभिन्न रंगों के क्रय हेतु मुहरबंद तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदाएं पृथक्-पृथक् लिफाफों में पेपर मिल एवं उनके अधिकृत डीलर/प्रतिनिधियों से आमंत्रित की जाती हैं.

2. टेण्डर फॉर्म, शर्तें एवं निविदा के अनुबंध/वितरण का प्रारूप वेबसाईट www.tenders.gov.in. एवं www.govtpressmp.nic.in. पर रखा गया है.

3. टेण्डर फॉर्म अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 7 मई, 2013 को कार्यालयीन समय अपराह्न 1.00 बजे तक आवश्यक पूर्तियां की जाकर प्रस्तुत की जाना होगी. निविदा का टेक्निकल टेण्डर (Technical Tender) उसी दिनांक को अर्थात् दिनांक 7 मई, 2013 को अपराह्न 3.00 बजे स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी.

(216)

Bhopal, dated 16th April, 2013

SHORT TENDER NOTICE

No. GB-IV-Paper (1) 2013-14/1430.—Sealed envelopes of Technical & Commercial (separately) tenders are invited from paper manufacturing mills or their authorised dealers/representative for the supply of Kraft Paper, 90 GSM in different colours for Election use.

2. Tender Document and agreement/Distribution details of tender are available at website www.tenders.gov.in and www.govtpressmp.nic.in.

3. In all respects complete tender document must be received at the office of undersigned latest by 13.00 hours on **7th May, 2013** and the Envelope 'A' of technical tender will be opened on the same day *i.e.* **7th May, 2013** at 15.00 hours in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

AJIT KESARI,

Controller,

Govt. Printing and Stationery,
Madhya Pradesh, Bhopal.

(216-A)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पब्लिक ट्रस्ट अधिकारी, लखनादौन, जिला सिवनी

रा. प्र. क्र. 01/बी-113/2012-13.

ग्राम बर्दा, पो. सादक सिवनी,
थाना व तह. छपारा
जिला सिवनी (म. प्र.)

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री रजनीश सिंह ठाकुर पिता श्री हरवंश सिंह ठाकुर एवं अन्य चार न्यासीगण सभी निवासीगण ग्राम बर्दा, पो. सादक सिवनी, थाना व तहसील छपारा, जिला सिवनी मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत लोक न्यास के पंजीयन के लिये आवेदन प्रस्तुत किये हैं कि न्यास का नाम सेरखा बाई इनकलाल सिंह पारमार्थिक ट्रस्ट, ग्राम बर्दा, पो. सादक सिवनी, थाना व तहसील छपारा, जिला सिवनी मध्यप्रदेश का पंजीयन कराना चाहते हैं.

कार्यकारी न्यासी और प्रबंधक का नाम पते सहित निम्नानुसार हैं :—

1. श्री रजनीश सिंह पिता श्री हरवंश सिंह ठाकुर (न्यास लेखक) न्यासी, निवासी ग्राम बर्दा, पो. सादक सिवनी, थाना व तहसील छपारा, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश.
2. श्रीमति विसराति सिंह पति रामजियन सिंह, निवासी 41, नया गांव, जबलपुर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश.
3. श्री अवनीश सिंह पिता श्री हरवंश सिंह ठाकुर, निवासी ग्राम बर्दा, पो. सादक सिवनी, थाना व तहसील छपारा, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश.
4. श्रीमति करूणा सिंह पति श्री अभिराज सिंह, निवासी 511, बापू जी नगर, बारापत्थर, सिवनी, जिला सिवनी.
5. श्रीमति पवनसिंह पति श्री हरवंश सिंह (न्यासिका) ग्राम बर्दा पो. सादक सिवनी, थाना व तहसील छपारा, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश.

उक्त लोक न्यास की कोई चल-अचल सम्पत्ति नहीं है क्योंकि ट्रस्ट का गठन अभी हाल में हुआ है.

अतः उक्त न्यास का उद्देश्य सार्वजनिक पारमार्थिक न्यास के निष्पादन हेतु किया गया है। श्री रजनीश सिंह पिता श्री हरवंश सिंह ठाकुर, निवासी ग्राम बर्वा, पो. सादक सिवनी, थाना व तहसील छपारा, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश जिन्हें इसके पश्चात् न्यास लेखक संबोधित किया गया है। प्रथम पक्षकार श्रीमति विसंराति सिंह पति श्रीरामजियन सिंह निवासी 41, नया गांव, जबलपुर, जिला जबलपुर।

6. श्री अरुणेश सिंह पिता श्री हरवंश सिंह ठाकुर, निवासी ग्राम बर्वा, पो. सादक सिवनी, थाना व तहसील छपारा, जिला सिवनी, म. प्र.
7. श्रीमति करुणा सिंह पति अभिराज सिंह, निवासी 511, बापू जी नगर, बारापत्थर, सिवनी, जिला सिवनी।
8. श्रीमति पवन सिंह पति श्री हरवंश सिंह (न्यासिका) ग्राम बर्वा, पो. सादक, सिवनी, थाना व तहसील छपारा, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश. जिन्हें इसके पश्चात् संयुक्त रूप से न्यासियों से संबोधित किया गया है।
9. न्यास का उद्देश्य आम जनता के उपयोग के लाभ हेतु किया गया है।

अतः उक्त न्यास के पंजीयन किये जाने में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति/दावा प्रस्तुत करना हो उक्त संदर्भ में कोई भी आम नागरिक अपने लिखित/मौखिक आपत्ति न्यायालय में दिनांक 4 मई, 2013 को उपस्थित होकर स्वयं या अपने वैध अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति/दावा प्रस्तुत करने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और यह समझा जावेगा कि उक्त संबंध में कोई भी आपत्ति/दावा विचार करने में रुचि नहीं है। आवेदक के आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जावे और सरेखा बाई झनकलाल सिंह पारमार्थिक ट्रस्ट, ग्राम बर्वा, पो. सादक, सिवनी, थाना व तहसील छपारा, जिला सिवनी मध्यप्रदेश का गठन किया जावे।

इशतहार मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी

जारी दिनांक 06-04-2013.

पेशी दिनांक 06-05-2013

स्थान-लखनादौन, जिला सिवनी (म. प्र.)

(207)

लता पाठक,
अनुविभागीय अधिकारी।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, सिहोरा, जिला जबलपुर

सिहोरा, दिनांक 03 अप्रैल, 2013

फॉर्म-4

रा. प्र. क्र. 1/बी-113/2011-12.

[नियम 5 (1) एवं 5 (2)]

क्रमांक/ प्रवा.-1/अविअ/13.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री सुखचैन पटैल पिता रामदीन पटैल साकिन ढोड़ा, पोस्ट पोला, तहसील मझौली, जिला जबलपुर के द्वारा लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत “भगवान शंकरजी मंदिर समिति ढोड़ा” तहसील मझौली, जिला जबलपुर को लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन निम्नलिखित जानकारी सहित प्रस्तुत किया गया है जो कि इस न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 9 मई, 2013 को विचार में लिया जावेगा।

1. न्यास का उद्गम प्रकृति और उद्देश्य:—मन्दिर की व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने हेतु।
2. स्थान जहां कि न्यास का मुख्य कार्यालय अथवा कारबार स्थित है:—मौजा ढोड़ा, प.ह.नं. 28, रा.नि.मंडल मझौली, तहसील मझौली, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश।

3. कार्यकारी न्यासी और प्रबंधक के नाम के पते निम्नानुसार हैं:—

1. सुखचैन पिता रामदीन पटैल
2. भगवत पिता छन्नीलाल पटैल
3. खेमचंद पिता कुंजीलाल पटैल
4. प्रकाश पिता शिवचरण राय

5. त्रिलोक पिता गोरेलाल राय
6. राजेश प्रसाद पिता लट्टू राम पटेल
7. राजकुमार पिता जगदीश प्रसाद पटेल
8. भगवानदास पिता कोदूलाल झारिया
9. लोकनाथ पिता बारेलाल झारिया

सभी निवासी साकिन ढोड़ा, पोस्ट पोला, तहसील मझौली, जिला जबलपुर (म. प्र.).

4. न्यासी के उत्तराधिकारी की रीति : कुछ नहीं.
5. न्यास सृजित करने वाले दस्तावेजों के ब्यौरे :—

वर्ष 2011-12

खसरा नम्बर	रकबा
47	1.070
343	1.520
375/542	1.050
<u>कुल नम्बर 3</u>	<u>3.640 हैक्टे.</u>

6. न्यास के सम्बन्ध में कोई स्कीम हो तो उसके ब्यौरे:—न्यास बनने के बाद कृषि भूमि से जो आय होगी उससे मंदिर का भव्य निर्माण होगा.
7. चल सम्पत्ति :— कुछ नहीं.
8. अचल सम्पत्ति के ब्यौरे:—
 - क. भूमि मौजा ढोड़ा, प.ह.नं. 28 में स्थित है जिसके खसरा पांचसाला किस्तबंदी, खतौनी की सत्यप्रतिलिपि जमा की जा रही है.
 - ख. विशेषज्ञ की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक चल एवं अचल सम्पत्ति का मूल्य करीब 50 लाख रुपया.
9. न्यास का आय स्रोत:—कृषि भूमि से करीब 55-60 हजार रुपया वार्षिक आय.
10. औसत सकल वार्षिक आय :—60,000/- साठ हजार रुपया.
11. औसत वार्षिक आय:—60,000/- साठ हजार रुपया.
 - (क) न्यासियों और प्रबंधक के पारिश्रमिक पर:—कुछ नहीं.
 - (ख) स्थापना और कर्मचारी वृन्द पर:—15,000/- पन्द्रह हजार रुपये.
 - (ग) धार्मिक उद्देश्य पर:—10,000/- दस हजार रुपये.
 - (घ) पूर्व उद्देश्यों पर :—कुछ नहीं.
 - (ङ) विभिन्न मदों (बिजली बिलों पर) करीब 3,000/- तीन हजार रुपये.
12. न्यास सम्पत्ति के ब्यौरे यदि कोई हो:—नहीं.
13. न्यास सम्पत्ति से संबंधित हक विलेखों के ब्यौरे और उनके आधिपत्य में होने वाले न्यासियों के नाम:—अनावेदक किशोरीलाल पिता धीरज कुर्मी साकिन ढोड़ा, तहसील मझौली करीब 14-15 वर्षों से मंदिर का सरवराहकार बना हुआ है.
14. वित्तीय वर्ष का सामान्य बजट :—60,000/- साठ हजार रुपये.
15. संविधान तथा नियमावली :—आवेदक द्वारा श्री शंकर जी मंदिर ढोड़ा समिति का संविधान और नियमावली प्रस्तुत किया है जो प्रकरण में संलग्न है.
16. टिप्पणी:—अनावेदक किशोरीलाल पिता धीरज कुर्मी साकिन ढोड़ा को सरवराहकार पद से हटाकर पब्लिक ट्रस्ट बनाये जाने बाबत.

उपरोक्तानुसार ट्रस्ट के पंजीयन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में दो प्रतियों में नियत दिनांक 9 मई, 2013 को या इसके पूर्व स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि समाप्ति पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 3 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

(208)

सिहोरा, दिनांक 3 अप्रैल, 2013

रा.प्र.क्र. 3/बी-113/2010-11.

फॉर्म-4

[नियम 5 (1) एवं 5 (2)]

क्र./ प्रवा.1/अविअ/13.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री प्रमोद जैन पिता स्व. श्री नेमचन्द्र जैन, निवासी कापा (इन्द्राना) तहसील मझौली, जिला जबलपुर के द्वारा लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत “श्री रामजानकी मंदिर इन्द्राना” तहसील मझौली, जिला जबलपुर को लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन निम्नलिखित जानकारी सहित प्रस्तुत किया गया है जो कि मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 9 मई, 2013 को विचार में लिया जावेगा.

1. लोक न्यास का नाम : श्री रामजानकी मन्दिर, इन्द्राना.
2. लोक न्यास का पंजीयन पता : श्री रामजानकी मन्दिर इन्द्राना, पोस्ट इन्द्राना, तहसील मझौली, जिला जबलपुर.
3. लोक न्यास का उद्गम प्रकृति एवं उद्देश्य: श्री रामजानकी मन्दिर इन्द्राना में प्राचीन मूर्तियां स्थापित हैं पूजन भजन कीर्तन होता है.
4. न्यासियों का नाम एवं पता निम्नानुसार है:—

क्र.	नाम	पता	पद
1.	प्रमोद जैन/नेमचंद्र जैन	मुकाम कापा. इन्द्राना	प्रबंध न्यासी
2.	मनोहर सिंह/लालजी सिंह	मुकाम पोस्ट इन्द्राना	न्यासी
3.	बासुदेव प्रसाद/हरप्रसाद पाण्डेय	मुकाम पोस्ट इन्द्राना	न्यासी
4.	गोविन्द/बृजबिहारी असाठी	मुकाम पोस्ट इन्द्राना	न्यासी
5.	उजयार सिंह/फूल सिंह	मुकाम कापा, पोस्ट इन्द्राना	न्यासी
6.	लल्लू बर्मन/मुरली बर्मन	मुकाम पोस्ट इन्द्राना	न्यासी
7.	जगन्नाथ/छेदीलाल	मुकाम गुर्दा, पोस्ट इन्द्राना	न्यासी
8.	भैयन मालगुजार/रामप्यारे	मुकाम पोस्ट उमरिया ढिरहा	न्यासी
9.	विनोद सिंह/भगत सिंह	मुकाम पोस्ट इन्द्राना	न्यासी
10.	अभय/चन्द्रिका प्रसाद	मुकाम पोस्ट इन्द्राना	न्यासी
11.	भगत सिंह/मंगल सिंह	मुकाम पोस्ट इन्द्राना	न्यासी
12.	संतराम/किशन लाल	मुकाम मुड़ारी, पोस्ट इन्द्राना	न्यासी
13.	मुन्नालाल/आशाराम	मुकाम कापा, पोस्ट इन्द्राना	न्यासी
14.	खुमान सिंह/भगवान सिंह	मुकाम पोस्ट इन्द्राना	न्यासी

5. कार्यकारी न्यासधारी और प्रबंधक का नाम और पता :—निम्नानुसार हैं.

क्र.	न्यासी का नाम	पता	पद
1.	कलेक्टर	जबलपुर	मुख्य संरक्षक
2.	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	सिहोरा	संरक्षक
3.	तहसीलदार	मझौली	अध्यक्ष
4.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज. पंचा.	मझौली	सचिव
5.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	मझौली	उपसचिव
6.	नगर परिषद अधिकारी	मझौली	सदस्य
7.	जनपद पंचायत अधिकारी	मझौली	सदस्य
8.	प्रमोद जैन/नेमचंद्र जैन	मुकाम कापा, पोस्ट इन्द्राना	कार्यकारी सदस्य
9.	मनोहर सिंह/लालजी सिंह	मुकाम कापा, पोस्ट इन्द्राना	कार्यकारी सदस्य
10.	बासुदेव प्रसाद/हरप्रसाद पाण्डेय	मुकाम पोस्ट इन्द्राना	कार्यकारी सदस्य
11.	गोविन्द/बृजबिहारी असाठी	मुकाम पोस्ट इन्द्राना	कार्यकारी सदस्य
12.	उजयार सिंह/फूलसिंह	मुकाम कापा, पोस्ट इन्द्राना	कार्यकारी सदस्य
13.	लल्लू बर्मन/मुरली बर्मन	मुकाम पोस्ट इन्द्राना	कार्यकारी सदस्य
14.	जगन्नाथ/छेदीलाल	मुकाम गुर्दा, पोस्ट इन्द्राना	कार्यकारी सदस्य
15.	संतराम/किशनलाल	मुकाम मुड़ारी, पोस्ट इन्द्राना	कार्यकारी सदस्य

6. न्यासियों की नियुक्ति:—न्यासियों की नियुक्ति न्यास की बैठक में बहुमत के आधार पर की जायेगी और साथ ही यह भी ध्यान देना कि नवीनयुक्त न्यासी धार्मिक विचारों का हो और मंदिर या न्यास की संपत्ति की देखरेख एवं संचालन में रुचि रखता हो साथ ही अपने व्यक्तिगत हित न्यास की संपत्ति से नहीं रखता है अर्थात् न्यास की संपत्ति अपने निजी उपयोग में रखने के लिये इच्छुक ना हो.

7. न्यास की बैठक:—न्यास की बैठक की अध्यक्षता प्रबंध न्यासी करेंगे उनकी अनुपस्थिति में कोई भी न्यासी बैठक की अध्यक्षता कर सकता है. बैठक प्रारम्भ होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा, बैठक का विवरण बैठक रजिस्टर में दर्ज होगा, साथ ही सूचना का विवरण एवं सूचना भेजने के विषय में उल्लेख होगा.

8. न्यासियों के कार्य विभाजन:—आवश्यकता पड़ने पर न्यासियों की बैठक में कार्यों का विभाजन किया जावेगा जिससे कि किसी उत्सव या किसी कार्य के लिये उत्तरदायित्व किसी विशेष न्यासी को दिया जा सके. इसके साथ ही न्यायालयीन कार्यों के लिये किसी एक न्यासी को अधिकृत किया जायेगा जो कि बैठक में सर्वसम्मति से पारित निर्णय के अनुसार होगा.

9. न्यासियों का त्याग-पत्र:—किसी भी न्यासी के त्याग-पत्र देने पर उसकी सदस्यता बैठक में निर्णय उपरान्त समाप्त की जा सकेगी. इसी प्रकार न्यासी की मृत्यु होने पर या न्यासी के कार्यों से असन्तुष्ट होने पर बैठक में निर्णय अनुसार सदस्यता समाप्त की जायेगी. यद्यपि पंजीयन के समय जो भी न्यासी नियुक्ति किये गये हैं इनकी सदस्यता आजीवन रहेगी इनके द्वारा त्याग-पत्र देने पर ही इनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है.

10. न्यास की चल-अचल सम्पत्ति:—न्यास की चल-अचल सम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है:—

चल सम्पत्ति—बैंक खाता सेन्ट्रल बैंक शाखा, इन्द्राना राशि 2,061 रुपये.

अचल सम्पत्ति : भूमि का ब्यौरा :—

ग्राम का नाम	खाता नम्बर	खसरा नम्बर	रकबा	लगान
इन्द्राना	127	137, 212	1.65, 3.76 हैक्टे.	10.50
नैंगवा	55	52, 58/2	1.77, 0.42 हैक्टे.	8.55
श्यामपुरा	32	15, 18	2.39, 0.25 हैक्टे.	12.37
मुड़ारी	107	110, 114	0.70, 2.27 हैक्टे.	13.00
सिंगलदीप	283	40, 49, 208, 317	0.75, 0.80, 2.72. 0.25 हैक्टे.	24.50

11. न्यास में संलग्न मंदिरों का विवरण :—1. श्री रामजानकी मंदिर रामचंद्र महाराज नरसिंह धाम इन्द्राना, तहसील मझौली, 2. मंदिर श्री हनुमान जी महाराज ग्राम इन्द्राना, तहसील मझौली, 3. मंदिर श्री गणेश जी, 4. मंदिर श्री शंकर जी महाराज, 5. साधु संतों एवं यात्रियों, अतिथियों को ठहरने के लिये शाला भवन, 6. मंदिर श्री रामचंद्र भगवान ग्राम सिंगलदीप, तहसील पनागर, जिला जबलपुर.
12. श्री रामजानकी मंदिर रामचंद्र महाराज नरसिंह धाम इन्द्राना की मूर्तियों का विवरण:—
 1. श्रीरामजी की 1, लक्ष्मण जी की 1, जानकी जी 1 = 3 मूर्तियां पत्थर की.
 2. नरसिंह भगवान की मूर्ति पीतल की 1, लड्डू गोपाल जी की अष्टधातु की मूर्ति 2.
 3. मूर्तियां छोटी पीतल की, श्री सालिकराम जी की 9 मूर्ति एवं विगु पीतल की.
 4. श्री हनुमान जी की मूर्ति 2, पत्थर की बाहर बरामदे में विराजमान है.
 5. शंकर जी की मूर्ति आंगन में चबूतरा पर विराजमान है, विजय घंटा.
 6. शीलिंग पंखा 2, शंख छोटा 1, घंटी छोटी-घंटा बड़ा एक लटका है.
 7. दीवाल घड़ी एक, तखत 2, गलीचा एक, तकिया 1, पेटी बड़ी एक, छोटी पेटी एक, कोपर बड़ी पीतल की 2, बाल्टी स्टील की 1, टंकी 1, जग 1, दरी बड़ी 1, गंज स्टील का 1, तीन गंज स्टील के भोजन बनाने वाले, एक थाल भोग लगाने वाली कांसे की, लोटा 1 कांसे का, 9 गिलास स्टील की, 2 थाली स्टील की, 1 स्पीकर सेट, साउण्ड 2, स्टेण्ड 1, स्टील के 2 लोटा, स्टील के 4 ढक्कन.
13. चल-अचल सम्पत्ति से होने वाली आय :—1. दो वर्ष की आडिट रिपोर्ट, 2. दान पेटी, चढ़ोत्तरी इत्यादि से प्राप्त आय-सभी से प्राप्त आय की राशि को राष्ट्रीयकृत व्यय में रखा जायेगा, किन्तु व्यय न्यास की बैठक के लिये निर्णय अनुसार होगा.
14. वर्ष में होने वाले व्यय का विवरण अनुमानित:—1. पुजारी का वेतन, 2. मंदिर के निम्नानुसार पूजन एवं आरती की व्यवस्था, 3. बसंत उत्सव अन्य धार्मिक त्यौहारों पर व्यय, 4. गरीब कन्याओं का विवाह करवाना, 5. मंदिर की मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय. 6. गौशाला खोलना सेवा एवं रक्षा की व्यवस्था, गरीब निर्धन छात्रों, बच्चों हेतु उच्च शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था. 8. गरीब लाचार एवं वृद्ध एवं बेसहारा साधुसंतों के लिये भोजन आदि की व्यवस्था. 9. यज्ञ के अवसर पर निर्धन गरीबों को, अपाहिजों को टंड से बचने के लिये कम्बल आदि बांटने की व्यवस्था करना, 10. प्रत्येक 3 वर्ष में यज्ञ के समय निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन करवाना.
15. न्यास के कार्यरत व्यवस्थापक/न्यासी के पत्राचार का पता:—श्री रामजानकी रामचंद्र महाराज, नरसिंह धाम मंदिर लोक न्यास, ग्राम इन्द्राना, पोस्ट इन्द्राना, तहसील मझौली.
16. अन्य आवश्यक विवरण:—
 1. न्यास की स्थापना से संबंधित दस्तावेजों का विवरण :—100 वर्ष पुराना संस्थान होने के अभिलेख की कापी.
 2. न्यास की सम्पत्ति पर कोई भार हो तो विवरण :—न्यास पर किसी प्रकार का भार नहीं है.

3. न्यास से संबंधित यदि कोई योजना हो तो विवरण :—1. मंदिरों का पुनः निर्माण एवं जीर्णोधार. 2. नवीन मंदिरों का निर्माण. 3. बसंत उत्सव एवं अन्य धार्मिक त्यौहारों पर परम्पराओं के अनुसार आयोजनों का समावेश. 4. कृषि का उत्थान, 5. धर्म एवं योग्य संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन. 6. धार्मिक पुस्तकालयों की स्थापना. 7. गौशाला की व्यवस्था एवं निर्माण. न्यास की संपत्ति से संबंधित स्वत्व विवरण विलेख प्रकरण में संलग्न है तथा वर्तमान में सभी न्यासी के अधिपत्य में हैं.

उपरोक्तानुसार ट्रस्ट के पंजीयन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में दो प्रतियों में नियत दिनांक 9 मई, 2013 को या इसके पूर्व स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि समाप्ति पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 2 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

(208-A)

सौरभ कुमार सुमन,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, केवलारी, जिला सिवनी

जारी दिनांक 21 मार्च, 2013.

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत नियम-5 उपनियम-1 के अनुसार]

सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री लालसिंह बघेल, अध्यक्ष, राधा कृष्ण मंदिर समिति मोहगांव (सरेखा) जिनका वर्तमान पता ग्राम मोहगांव (सरेखा) तहसील केवलारी, जिला सिवनी है, के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत संलग्न अनुसूची क्र. 1 एवं अनुसूची क्र. 2 में वर्णित सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकृत करने हेतु आवेदन-पत्र दिया गया है.

अतएव एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 16 मई, 2013 को विचार किया जावेगा, यदि किसी व्यक्ति को जो इस न्यास में हित रखता हो, न्यास की सम्पत्ति में पंजीयन करने पर आपत्ति करना चाहता है, तो वह उक्त दिनांक को 2 प्रतियों में इस अधिसूचना के प्रकाशन के "एक माह" के अन्दर मेरे समक्ष स्वयं उपस्थित होकर या किसी अधिवक्ता या अपने अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. इस अवधि के पश्चात् प्रस्तुत की गई आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 21 मार्च, 2013 को न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

पेशी दिनांक 16 मई, 2013.

(209)

कौशलेन्द्र विक्रम सिंह,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

"शक्ति फाउण्डेशन ट्रस्ट" कार्यालय 18, श्रमिक कॉलोनी राऊ, जिला इन्दौर की ओर से श्री सुनील पाटीदार पिता स्व. श्री मनोहरलाल पाटीदार निवासी 354, साकेत नगर, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर

इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“शक्ति फाउण्डेशन ट्रस्ट”.
पता	:	18, श्रमिक कॉलोनी, राऊ, जिला इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 10,000/- (अक्षरी रुपये दस हजार मात्र)

आज दिनांक 21 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

शरद श्रोत्रिय,
रजिस्ट्रार.

(211)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, सारंगपुर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा)

प्रकरण क्रमांक 01/बी-113/12-13.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

चूंकि श्री मांगीलाल पुष्पद पिता श्री देवचन्द पुष्पद, वार्ड नं. 17, बागकुआ टंकी के पास, सारंगपुर द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतएव सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा प्रस्तुत करना चाहे तो वह इस नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् 30 दिन के अन्दर इस न्यायालय में न्यायालयीन कार्य दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित समयावधि उपरान्त प्राप्त आपत्तियां/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं चल-अचल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम व पता	..	श्रीराम मन्दिर माली समाज मुकेरवाड़ी ट्रस्ट, सारंगपुर.
अचल सम्पत्ति	..	कृषि भूमि तथा मन्दिर का निर्मित एवं खुला क्षेत्रफल कीमत अनुमानित 34,50,000.00 रु. मात्र.
चल सम्पत्ति	..	चल सम्पत्ति अनुमानित कीमत 1245.00 रु.

आज दिनांक 17 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

आर. के. वंशकार,
अनुविभागीय अधिकारी.

(212)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, छतरपुर

छतरपुर, दिनांक 30 मार्च, 2013

प्र. क्र. 01 बी/113/94-95.

प्रारूप क्रमांक-4

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत लोक

न्यासों के पंजीयक, छतरपुर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश के समक्ष यह है कि:—

- (1) अध्यक्ष : जगदीश शुक्ला तनय मुन्नीलाल शुक्ला, निवासी शुक्लाना मोहल्ला, छतरपुर, मध्यप्रदेश.
- (2) सचिव : मुन्नीलाल मिश्रा तनय स्व. श्री मोतीलाल मिश्रा, निवासी शुक्लाना मोहल्ला, छतरपुर, मध्यप्रदेश.
- (3) कोषाध्यक्ष : बद्री नारायण तिवारी तनय रामकिशोर तिवारी, निवासी बंधियन वार्ड, छतरपुर, मध्यप्रदेश.

सदस्यगण

- (4) श्री उमेश शुक्ला तनय श्री श्रीनिवास शुक्ला, निवासी शुक्लाना मोहल्ला, छतरपुर.
- (5) श्री सुरेन्द्र उर्फ सिरिशा शर्मा तनय मथुरा प्रसाद शर्मा, निवासी शुक्लाना मोहल्ला, छतरपुर, मध्यप्रदेश.
- (6) श्री हनुमत शरण तिवारी तनय स्व. श्री भैयालाल तिवारी, निवासी महाराष्ट्रीयन मार्ग, छतरपुर, मध्यप्रदेश.
- (7) श्री अरूण कुमार चौरसिया तनय अशोक कुमार चौरसिया, निवासी परवारी मोहल्ला, छतरपुर, मध्यप्रदेश.
- (8) श्री रमेश सोनी तनय स्वामी प्रसाद सोनी, निवासी ग्वाल मंगरा तालाब, छतरपुर.
- (9) श्री कमलाकान्त गन्धर्व तनय स्व. श्री शंकरलाल गन्धर्व, निवासी बसारी दरवाजा, छतरपुर, मध्यप्रदेश.
- (10) श्री धर्मेन्द्र अवस्थी तनय श्री सी. एस. अवस्थी, निवासी बसारी दरवाजा, छतरपुर, मध्यप्रदेश.
- (11) श्री अशोक कुमार ताम्रकार तनय द्वारका प्रसाद ताम्रकार, निवासी तमराई मोहल्ला, छतरपुर, मध्यप्रदेश.
- (12) श्री बसंत कुमार पाठक तनय श्री हरिप्रसाद पाठक, निवासी ग्वालमंगरा तालाब, छतरपुर, मध्यप्रदेश.
- (13) श्री के. के. तिवारी तनय जगदेव तिवारी, निवासी विद्यार्थी मार्ग, छतरपुर.
- (14) श्री अशोक यादव तनय स्व. श्री घनश्याम यादव, निवासी बसारी दरवाजा, छतरपुर, मध्यप्रदेश.
- (15) श्री अमर चंद्र गुप्ता तनय कंधीलाल, निवासी बसारी दरवाजा, छतरपुर, मध्यप्रदेश.
- (16) श्री लक्ष्मण साहू तनय दीना साहू, निवासी बसारी गेट, छतरपुर, मध्यप्रदेश.
- (17) श्री बद्री त्रिपाठी तनय नारायण दास, निवासी खटक्याना मोहल्ला, छतरपुर.
- (18) श्री हरि सिंह घोष तनय श्री राधाचरण घोष, निवासी घोषयाना मोहल्ला, छतरपुर.

समस्त निवासीगण मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 29 अप्रैल, 2013 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा। इसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपराह प्राप्त आपत्ति को विचार में नहीं लिया जावेगा।

लोक न्यास का नाम और पता : मंदिर धनुषधारी, संकट मोचन न्यास, राव सागर, छतरपुर, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

सम्पत्ति का विवरण

क्र.	वस्तु का नाम	संख्या	वजन	कीमत रुपये
1	2	3	4	5
1.	नांद बड़ी पीतल की	01	35 कि. ग्रा. करीब	1420
2.	नांद छोटी पीतल की	01	20 कि. ग्रा. करीब	800
3.	भगोना बड़ा पीतल का	01	08 कि. ग्रा. करीब	320
4.	बाल्टी पीतल की	02	03 कि. ग्रा. करीब	120

1	2	3	4	5
5.	कुपरा बड़े पीतल के	02	08 कि. ग्रा. करीब	640
6.	परासें पीतल की	02	05 कि. ग्रा. करीब	40
7.	थाली पीतल की	01	01 कि. ग्रा. करीब	40
8.	स्टील थाली	05	02 कि. ग्रा. करीब	130
9.	झालरें पीतल की	02	08 कि. ग्रा. करीब	400
10.	कलसा पीतल के	02	05 कि. ग्रा. करीब	200
11.	विजय घण्ट पीतल का	01	400 ग्राम करीब	30
12.	घण्टा हनुमान जी के पास	01	02 कि. ग्रा. करीब	80
13.	कलसा पीतल का	01	02 कि. ग्रा. करीब	80
14.	कड़ाही लोहे की	03	50 कि. ग्रा. करीब	300
15.	तईया बड़ी लोहे की	02	08 कि. ग्रा. करीब	100
16.	दुरमुट लोहे का	01	05 कि. ग्रा. करीब	60
17.	साइकिल	01	—	300
18.	रेडियो बिजली वाला	01	—	300
19.	टेबिल फैन	02	—	500
20.	स्टोब लोहे का	01	—	50
21.	सीलिंग फैन	03	—	2500
22.	जोति पम्म तीन इंच वाले	02	—	3000
23.	बंदूक भरतल दो नली	01	—	400
24.	गलीचा पुराना जीर्ण	02	—	100
25.	जेजम पुरानी जीर्ण	01	—	60
26.	गैस बत्ती पेट्रोमेक्स	01	—	200

पूजन सामग्री

क्र.	वस्तु का नाम	संख्या	वजन	कीमत रुपये
1.	तामड़ा बड़ा तांबे का	01	01 कि. ग्रा. करीब	70
2.	लोटा पीतल का	01	500 ग्राम करीब	40
3.	गरूड घण्टा	01	400 ग्राम करीब	30
4.	गिलसिया पीतल की	02	400 ग्राम करीब	30
5.	थाली पीतल की भोगवाली	01	500 ग्राम करीब	20
6.	आरती पीतल की बड़ी	01	300 ग्राम करीब	20
7.	गिलसिया आचमन	02	400 ग्राम करीब	30

फर्नीचर का सामान

क्र.	वस्तु का नाम	संख्या	वजन	कीमत रुपये
1.	तखत लकड़ी का	03	5 बाई 2	400
2.	तखतिया लकड़ी की ऊपर पीतल लगा चरणामृत रखने वाली.	01	2 बाई 2	40
3.	मुकुट चांदी के	गहने 03 नग	श्री रामचंद्र जी, माता जानकी जी, श्री लक्ष्मण जी.	

अचल सम्पत्ति (कृषि भूमि) का विवरण

क्र.	खसरा नं.	रकबा	लगान
1.	692	1.080	3.50
2.	693	0.028	—
3.	694	0.531	0.87
4.	695	0.425	0.79
5.	696	0.507	0.95
6.	708	2.873	4.49
7.	710	0.979	2.56

किता 7, रकबा 6 हे. 523 आरे, लगानी 13 रुपये बाके ग्राम बरकौंहा राजस्व निरीक्षक मण्डल, छतरपुर कीमत लगभग 1,49,969.00

अचल सम्पत्ति (कृषि भूमि) का विवरण

क्र.	खसरा नं.	रकबा	लगानी
1	2	3	4
1.	2152/1	0.061	0.60
2.	2155/1	0.057	0.50
3.	2157	0.121	0.00
4.	2158	0.222	2.19
5.	2159	0.061	0.00
6.	2160	0.494	4.94
7.	2161	0.285	0.00
8.	2162	0.506	5.00
9.	2163	0.057	0.00
10.	2291/2	0.769	0.59
11.	2164	0.267	2.75
12.	2165	0.218	2.19
13.	2166	0.016	0.00
14.	2167	0.113	1.06

1	2	3	4
15.	2168	0.032	0.00
16.	2169	0.380	3.75
17.	2170	0.024	0.00
18.	2171	0.129	0.00
19.	2172	0.113	1.25
20.	2173	0.020	0.00
21.	2174	0.178	1.33
22.	2175	0.113	1.25
23.	2176	0.045	0.00
24.	2177	0.016	0.00
25.	2180	0.348	0.00
26.	2181	0.026	0.00
27.	2182	0.220	2.25
28.	2183	0.045	0.00
29.	2184	0.255	0.00
30.	2185	0.210	0.00
31.	2187	0.307	3.22
32.	2188	0.008	0.06
33.	2189	0.101	0.00
34.	2190	0.162	1.63
35.	2191	0.024	0.00
36.	2193	0.380	3.81
37.	2194	0.028	0.00
38.	2195	0.611	0.00

किता 38, रकबा 6 हे. 927 आरे, लगानी 38.22 पैसे बाके छतरपुर खास राजस्व निरीक्षक मण्डल छतरपुर, तहसील व जिला छतरपुर मध्यप्रदेश, कीमती 6,92,700=00 रुपये.

विवरण संपत्ति स्थानीय महावीर जी स्थान रावसागर

क्र.	खसरा नं.	रकबा	लगानी
1.	711	6.284	2.75
2.	759	2.100	1.00
3.	760	0.870	0.14
4.	761	1.461	0.69
5.	762	1.631	0.75
6.	765	0.336	0.12
7.	766	0.314	0.25

किता 7, रकबा 13 हे. 196 आरे, लगानी 6 रुपया बाके ग्राम बरकौहा राजस्व निरीक्षक मण्डल, छतरपुर, तहसील व जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश, कीमती 3,03,508=00 रुपये.

चिवरण सम्पत्ति मंदिर श्री लक्ष्मण जी मंदिर जगतसागर

क्र.	खसरा नं.	रकबा	लगानी
1.	1188	0.429	3.81
2.	1189	0.170	1.63
3.	1216	0.316	2.75
4.	1218	0.275	2.50
5.	1219	0.192	1.89
6.	1220	0.332	3.19
7.	1221	0.036	0.00
8.	1222	0.085	0.00
9.	1223	0.166	1.50
10.	1228	0.035	0.00
11.	1255	0.559	5.00
12.	1257	0.049	0.44
13.	1265	0.105	0.94
14.	1266	0.202	1.94
15.	1267	0.053	0.00
16.	1268	0.267	2.50
17.	1269	0.012	0.13
18.	1270	0.498	4.81
19.	1271	0.255	2.44
20.	1272	0.291	2.36
21.	1273	0.298	2.69
22.	1284	0.279	2.44
23.	1285	0.271	2.37
24.	1283	0.057	0.00
25.	1303	0.220	2.87
26.	1304	0.061	0.63
27.	1305	0.802	0.75
28.	1306	0.032	0.00
29.	1307	0.611	5.87
30.	1308	0.265	0.62
31.	1309	0.166	1.25

किता 31, रकबा 8 हे. 202 आरे, लगानी 67 रुपया 94 पैसा बाके ग्राम मऊसहानियां राजस्व निरीक्षक मण्डल, नौगांव, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश जिसकी कीमत 3,28,080=00 रुपये है.

अचल सम्पत्ति विवरण मकान एवं दुकानें

- (1) दुकान क्र. 24/21, वार्ड नं. 19 बजरिया मार्ग दो में स्थित है जिसमें दो दुकानें बगल में अटारी पक्की के लिये जीना है जिसकी चौहद्दी पूरब में दरवाजे व जीना व बजरिया का रास्ता, पश्चिम में इस्माइल मनहार की दुकान, उत्तर में जैन मंदिर की दुकान, दक्षिण में भूरे की दुकान है.
- (2) यह कि गौशाला क्रमांक 2/2, गांधी रोड पर स्थित है. जिसकी चौहद्दी पूरब में दरवाजा, पश्चिम में शनि मंदिर, उत्तर में गांधी रोड व दक्षिण में रावसागर तालाब है.
- (3) दुकान क्रमांक 19/19, वार्ड नं. 11 गांधी रोड वार्ड नं. 19 जिसका दरवाजा उत्तर की ओर जिसकी चौहद्दी पूरब में मऊ वाली तमेरन, रामबाबू, श्यामबाबू ताम्रकार का मकान, पश्चिम में काशीप्रसाद चौरसिया की दुकान, उत्तर में गांधी रोड जो चौक बाजार को जाता है तथा दक्षिण में मऊ वाली तमेरिन की जमीन है.
- (4) दुकान क्रमांक 31/31, वार्ड नं. 11 जिसका दरवाजा उत्तर की ओर खुलता है जिसकी चौहद्दी उत्तर में गांधी रोड जो चौक बाजार को जाता है, दक्षिण में काशीप्रसाद शुक्ला का गोदाम है, पूरब में काशीप्रसाद शुक्ला की दुकान है, पश्चिम में रामदास फेंड्या की दुकान है.
- (5) यह कि दुकान क्रमांक 16/16, वार्ड क्र. 15 जिसका दरवाजा दक्षिण की ओर खुलता है जिसकी चौहद्दी दक्षिण में गांधी रोड जो चौक बाजार को जाता है, उत्तर में छोटेलाल शर्माफ का मकान व दुकान है, पूर्व में अरविन्द कुमार शुक्ला की दुकान है, पश्चिम में रामदास फेंड्या की दुकानें हैं.
- (6) मकान क्रमांक 31, खटक्याना मार्ग, अमानगंज वार्ड, जिसका दरवाजा उत्तर की ओर खुलता है, जिसकी चौहद्दी पूरब में मंदिर की कृषि भूमि व पश्चिम में यादव वकील का मकान, दक्षिण में गिरनारी मंदिर, उत्तर में खटक्याना मार्ग है.
- (7) यह कि मकान नं. 18, वार्ड क्रमांक 13 गांधी रोड अमानगंज में स्थित है जिसका दरवाजा दक्षिण की ओर खुलता है जिसकी चौहद्दी दक्षिण में गांधी रोड, उत्तर में मजीद टेलर मास्टर का मकान, पूर्व में अमानगंज मुहल्ला की गली और पश्चिम में मन्दिर श्री हनुमान जी का है.
- (8) मकान क्र. 62, वार्ड नं. 14 नगरपालिका गांधी रोड वार्ड जिसका दरवाजा पश्चिम की ओर खुलता है दक्षिण में गांधी रोड, पश्चिम में तुलसीदास कनकने का मकान, पूर्व में दुर्गा प्रसाद का मकान, उत्तर में श्री जोशी का मकान है.
- (9) मकान क्र. 18, वार्ड क्र. 14 गांधी रोड, तमराई वार्ड जिसका दरवाजा दक्षिण की ओर खुलता है जिसकी चौहद्दी पूर्व में फिरंगी सेठ का गोदाम, पश्चिम में मुबारक अली का मकान, दक्षिण में गांधी रोड, सामने ग्वालमंगरा तालाब व उत्तर में तलैया है. उक्त सभी स्थान छतरपुर, तहसील व जिला छतरपुर में स्थित है.

बाड़ा श्री मंदिर रावसागर

यह बाड़ा नगरपालिका का क्रमांक नं. 73/66 पर अंकित है यह वार्ड क्रमांक 13, खटक्याना मार्ग नं. 9 में स्थित है चौहद्दी इसके पूर्व में मन्दिर की कृषि भूमि, पश्चिम में खटक्याना मार्ग, उत्तर में लल्लू तनय परमलाला यादव व दक्षिण में विनोद कुमार तनय स्वामीदीन यादव का मकान है.

- (10) भवनों एवं दुकानों से मंदिर को माहबारी होने वाली आय.—

मकान	नगरपालिका का क्रमांक	प्रतिमाह	आय
1. गौशाल	2	„	50.00
2. मकान	171	„	50.00
3. मकान	159	„	100.00
4. मकान	129	„	200.00
5. मकान	91	„	200.00
6. दुकान	22	„	340.00
7. दुकान	56	„	200.00
8. दुकान	60	„	120.00
कुल माहवारी किराया			1260.00

मन्दिर में त्यौहारों पर होने वाली आय

1.	रामनवमी	करीबन	50.00
2.	गंगा दशहरा	करीबन	150.00
3.	श्रावण माह	करीबन	100.00
4.	संक्रांति	करीबन	150.00
5.	वसंत पंचमी	करीबन	50.00
6.	शिवरात्रि	करीबन	150.00
कुल आय			650.00

मन्दिर को कृषि से होने वाली वार्षिक आय

1.	खरीफ फसल से होने वाली आय	करीबन	1200.00
2.	रबी फसल से होने वाली आय	करीबन	10000.00
कुल वार्षिक आय			11,200.00

इस प्रकार मन्दिर को वार्षिक होने वाली आय

1.	भवनों एवं दुकानों से होने वाली वार्षिक आय	15120.00
2.	कृषि से होने वाली वार्षिक आय	11200.00
3.	वार्षिक त्यौहारों से होने वाली आय	650.00
कुल आय		26,970.00

सुरभि तिवारी,

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(213)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल

बैतूल, दिनांक 27 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2012/1563.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./77/1488, दिनांक 24 मई, 1977 के द्वारा बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., झाकस, जिसका पंजीयन क्रमांक 629, दिनांक 3 मार्च, 1959 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के परिसमापक श्री सी. एल. डोंगरे, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, दौलतराम गोडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., झाकस, पंजीयन क्रमांक 629,

दिनांक 3 मार्च, 1959 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जायेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(214)

बैतूल, दिनांक 27 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2012/1564.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./87/507, दिनांक 5 मार्च, 1987 के द्वारा गुड़खांडसारी सहकारी संस्था मर्या., जम्बाड़ा, जिसका पंजीयन क्रमांक 729, दिनांक 22 फरवरी, 1973 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के परिसमापक श्री आर. बडयालकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था गुड़खांडसारी सहकारी संस्था मर्या., जम्बाड़ा, पंजीयन क्रमांक 729, दिनांक 22 फरवरी, 1973 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जायेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(214-A)

बैतूल, दिनांक 27 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2012/1565.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./77/1486, दिनांक 24 मई, 1977 के द्वारा बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., चिखली, जिसका पंजीयन क्रमांक 629, दिनांक 3 फरवरी, 1959 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के परिसमापक श्री युवराज ठाकरे, उप अंकेक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., चिखली, जिसका पंजीयन क्रमांक 629, दिनांक 3 फरवरी, 1959 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जायेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(214-B)

बैतूल, दिनांक 27 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2012/1566.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./06/1568, दिनांक 13 अक्टूबर, 2006 के द्वारा आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., कुंडबकाजन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1051, दिनांक 2 सितम्बर, 1983 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के परिसमापक श्री सी. एल. डोंगरे, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, दौलतराम गोडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कुंडबकाजन, पंजीयन क्रमांक 1051, दिनांक 2 सितम्बर, 1983 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जायेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(214-C)

बैतूल, दिनांक 27 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2012/1567.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./77/1490, दिनांक 24 मई, 1977 के द्वारा बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पलस्या, जिसका पंजीयन क्रमांक 680, दिनांक 10 जुलाई, 1960 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के परिसमापक श्री सी. एल. डोंगरे, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, दौलतराम गोडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पलस्या, पंजीयन क्रमांक 680, दिनांक 10 जुलाई, 1960 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जायेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(214-D)

दौलतराम गोडाम,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 अप्रैल 2013-वैशाख 6, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 9 जनवरी, 2013

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.
2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दमोह, रीवा, शाजापुर व कटनी में रबी फसल की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
3. **बोनी.**—जिला कटनी में फसल गेहूँ व श्योपुर, ग्वालियर, पन्ना, दमोह, रीवा, उमरिया, देवास, खरगोन, मण्डला में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
4. **फसल स्थिति.**—जिला डिण्डोरी में पाला गिरने से दलहनी फसलों में राहर, मसूर, मटर को आंशिक क्षति हुई है.
5. **कटाई.**—जिला बुरहानपुर भोपाल में फसल तुअर व बैतूल में तुअर, गन्ना की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, गुना, छतरपुर, सागर, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य में प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.
8. **चारा.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
9. **बीज.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 9 जनवरी, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यो की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) बाजरा, ज्वार, मक्का, तिल समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहीना 7. रौन				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूँगफली, उड़द अधिक. तिल, मूँगमोट, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, गेहूँ, सोयाबीन अधिक. उड़द कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुंगावली	..				
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, ..	7. पर्याप्त. 8. ..
1. गुना	..				
2. राघोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
7. मकसूदनगढ़	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, तुअर, गेहूँ, राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ, आलू . (2) उपरोक्त फसलें समान	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..				
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. ज्वार, अरहर कम. गेहूँ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..				
2. गौरीहार	..				
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ा मलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मसूर, मटर, आलू, प्याज अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिल, गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों अलसी कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	..				
2. पन्ना	..				
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर, तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू, प्याज समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	..				
2. खुरई	..				
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. शाहगढ़	..				
11. मालथोन	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, राई समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर कम. गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, सरसों समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगावां	..				
3. रामपुर-बधेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर कम. गेहूँ, चना, अलसी, जौ, मसूर, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकर्चुलियान	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मसूर, मटर कम. तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
5. बुढ़ार	..				
6. गोहपारु	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) राई-सरसों, अलसी, गेहूँ, चना, मसूर अधिक. राहर, कोदों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान व सुधरी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, कोदों कुटकी अधिक. गेहूँ, चना, अलसी कम. राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवागढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. गोपदवनास	..		4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, मटर, मसूर, गेहूँ, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिहावल	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..		4. (1) अरहर, अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..		
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	..		4. (1) गेहूँ, सरसों अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) ..		
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. सीतामऊ	..				
7. धुन्धड़का	..				
8. शामगढ़	..				
9. संजीत	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मनासा	..				
*जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावरा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. आलोट	..		(2) ..		
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4. (1) गेहूँ, अधिक, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) ..		
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
5. बड़ौद	..				
6. शाजापुर	..				
7. शुजालपुर	..				
8. कालापीपल	..				
9. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन अधिक. ज्वार, मक्का, कपास कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) कपास, मक्का, गेहूँ अधिक. चना समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. राणापुर	..				
5. झाबुआ	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, गेहूँ अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. सोण्डवा	..				
4. भामरा	..				
5. कट्ठीवाड़ा	..				
6. उदयगढ़	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, राई- सरसों, मटर, मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. सनावद	..				
3. महेश्वर	..				
4. सेगांव	..				
5. करही	..				
6. खरगोन	..				
7. गोगावां	..				
8. कसरावद	..				
9. मुल्लान	..				
10. भगवानपुरा	..				
11. भीकनगांव	..				
12. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला बड़वानी:	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
जिला पूर्ण-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. तुअर की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) कपास, तुअर, गेहूँ चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) गेहूँ अधिक, गन्ना, ज्वार, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		मक्का, मूँगफली, तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) मसूर, तिवड़ा अधिक. गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. तुअर फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2)	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रायसेन	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. तुअर एवं गन्ने की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..				
2. शाहपुर	..				
3. बैतूल	..				
4. मुलताई	..				
5. आमला	..				
जिला होशंगाबाद	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मूंगमोठ, तुअर अधिक. चना, मटर, मसूर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बाबई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, उड़द, मूंगमोठ. (2) सुधरी हुईं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की जुताई एवं गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, गेहूँ, मसूर, अलसी, राई-सरसों, जौ, मटर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी एवं कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	..		4. (1) गेहूँ, चना, बटरा, मसूर, अलसी सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	..		(2) ..		
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. पाला गिरने से दलहनी फसलों राहर, मसूर, मटर, को आंशिक क्षति हुई है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. डिण्डोरी	..		4. (1) तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		(2) ..		
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. मोहखेड़ा	..				
11. हरई	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक. मसूर, लाख, तिवड़ा, मटर अलसी कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. कुरई	..				
6. घंसौर	..				
7. धनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) गेहूँ, चना, उड़द, अलसी, राई-सरसों, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला रतलाम, बड़वानी, रायसेन, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(206)